

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नगौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिषपाल सिंह बुरडक आर०ए०एस०

अपील संख्या :-48/2020

अपीलान्ट:-

1. गणेशराम पुत्र श्री प्रभूराम जाति जाट, निवासी कालवा,
तहसील मकराना जिला नगौर।
2. तिलोकराम पुत्र श्री प्रभूराम जाति जाट, निवासी कालवा,
तहसील मकराना जिला नगौर।

रेस्पोंडेन्ट :-

1. राजस्थान सरकार ज़रिए तहसीलदार मकराना।
2. पटवारी हल्का बोरावड तहसील मकराना जिला नगौर।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री जयप्रकाश अधिवक्ता, अपीलान्ट्स की और से।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक
17.09.2020 न्यायालय तहसीलदार मकराना अन्तर्गत प्रकरण संख्या
01/2020 राजस्थान सरकार बनाम गणेशराम व अन्य के विरुद्ध**


अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-13.08.2021

{1} यह अपील विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार मकराना के प्रकरण संख्या 01/2020 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम गणेशराम निर्णय दिनांक 17.09.2020 के विरुद्ध पेश की है।




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील मकराना में पटवारी हल्का बौरावड़ द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम बौरावड़ के खसरा नम्बर 56 किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि में अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने 0.3966 हैक्टर भूमि में से रकबा 0.0816 हैक्टर भूमि पर कांटो की बाड़ लगाकर परचातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 91(2) राजस्थाना भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 17.09.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को परचातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली व जुर्माना एवं तीन मास के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिसे झुंझ होकर अपीलार्थी यह अपील पेश की है।

{3} अपीलान्त ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :-

{3} (1) यह है कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{3} (2) यह है कि अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध मौजा बौरावड़ के खसरा नम्बर 56 गैर मुमकिन रास्ता पर परचातवर्ती अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है जबकि रिपोर्ट में परचातवर्ती अतिक्रमण कब किया गया ऐसा कोई अंकन नहीं किया व जाँच रिपोर्ट जो साथ पेश की गई उसमें भी मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा यह बताया गया कि इस रास्ते के मध्य में पेड़ों की छरड़िया कांटे लगाकर रास्ता बन्द कर दिया है जो गणेशराम तिलोकराम व सांवतराम ने बन्द किया है। मौके पर रास्ते के मध्य कांटे लगाकर बन्द पाया गया है, कि रिपोर्ट पेश की गई। परन्तु मौके पर किसी प्रकार का कोई न्याप किया गया हो अथवा रास्ता कहा से कहा तक जाता है व रास्ता मौके पर चालू है अथवा नहीं इसका कोई अंकन नहीं किया गया व न ही मौके पर किसी प्रकार का कोई न्याप करना




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बीडवाना

मौका रिपोर्ट में अंकन है केवल मात्र मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि उपस्थित लोगों ने बताया कि इन लोगों ने कांटे लगाकर रास्ता बन्द कर दिया है, कितने भाग पर किस स्थान पर कब्जा किया गया इस संबंध में न तो मौका रिपोर्ट में कोई अंकन किया गया व रास्ते को किस हद तक बन्द किया गया इसका भी अंकन नहीं है व न ही ऐसा कोई नक्शा बनाकर पेश किया गया जिसमें यह दर्शित हो कि रास्ता की भूमि पर किसी ने अतिक्रमण किया है। मौके पर रास्ता चालू होने के अलावा है या नहीं इसका भी अंकन जांच रिपोर्ट में नहीं किया गया है इसलिए जांच रिपोर्ट अतिक्रमण के संबंध में कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं करती है व न ही ऐसी मौका रिपोर्ट के अनुसार किसी परचातवर्ती अतिक्रमी विधि अनुसार ठहराया जा सकता है। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}(3) यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में जो नोटिस जारी किया गया उसमें भी पूर्व बेदखली व परचातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई अंकन नहीं किया तथा न ही नोटिस में ऐसा कोई उल्लेख ही किया गया है तथा विधिवत रूप से परचातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया। परचातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में विधि अनुसार रिपोर्ट के साथ पूर्व बेदखली की फर्द की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की जाना आवश्यक होती है साथ ही उसकी प्रति गैरसमायल हो उपलब्ध करवाते हुए इस संबंध में जवाबदेही ली जाना साथ ही पटवारी हल्का के बयान लेकर उक्त बयानों से पूर्व बेदखली को साबित करवाया जाना आवश्यक होता है इसके अभाव में किसी प्रकार के परचातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है व न ही परचातवर्ती अतिक्रमी ठहराया ही जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का से जिरह का किसी प्रकार का कोई अवसर ही दिया गया इसलिए बिना जिरह का अवसर दिये व बिना बयान लिये एवं पूर्व बेदखली की फर्द को साबित किये बिना परचातवर्ती अतिक्रमण विधि अनुसार नहीं ठहराया जा सकता है इसलिए अपीलार्थीगण/अप्राथीगण किसी भी प्रकार से परचातवर्ती अतिक्रमी



अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डवाना

सम्बन्धित नहीं होते हुए भी परचातावर्ती अतिक्रमी ठहराकर तीन माह से दण्डित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}(4) यह है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है व न ही रास्ता की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है। मौके पर रास्ता पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से बन्द है मौके पर कभी रास्ता चालू रहा ही नहीं व न ही मौके पर रास्ते के कोई अलाम्नात है मौके पर दर्ज रास्ते के पेरेलल नगौर बोरावड आम सड़क स्थित है इस कारण से मौके पर रास्ता कभी चालू रहा ही नहीं। यदि मौके पर मुस्तकिल मुदाम से नाम चौप किया जाता है तो सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इस संबंध में तहसीलदार जी से निवेदन भी किया गया परन्तु पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कभी भी कोई न्नाप चौप नहीं किया व बिना न्नाप चौप किये ही अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है जबकि अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के खेत के पास जो रास्ता रेकर्ड में दर्ज है उसके किसी भी भाग पर अपीलार्थी ने किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया व न ही अपीलार्थी ने कभी रास्ते को बन्द किया है व न ही अपीलार्थी की रास्ता बन्द करने की किसी प्रकार की मंश्र है। मौके पर न्नाप को लेकर विवाद है यदि वास्तव में मौके पर मुस्तकिल मुदाम से न्नापकर रास्ता को शुरू से लेकर अन्त तक पूर्ण रूप से खोला भी जाता है तो अपीलार्थी को इस संबंध में किसी प्रकार का एतराज नहीं है व न ही अपीलार्थी ने रास्ता की भूमि का अवरोधित किया है। मौके पर न्नाप व सीव का विवाद है पड़ौसी खातेदार ने रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते को अपीलार्थी के खेत में कायम करने पर आम्नादा है इसी नीयत से बिना मौके पर न्नाप चौप व वास्तविक रिपोर्ट करवाये गलत रूप से बिना न्नाप चौप के रिपोर्ट करवाकर अतिक्रमी ठहराने पर उतररू है ताकि रास्ता अपीलार्थी के खेत में कायम किया जा सके। इसी नीयत से सारी कार्यवाही की गई है। मौके पर रेकर्ड के अनुसार बताये गये स्थान पर कभी रास्ता नहीं रहा फिर भी



10
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

अपीलार्थी उक्त रास्ता की भूमि पर न तो काबिज है व न ही अवरोध उत्पन्न किया है वह आज से करीब 50 वर्षों से अधिक समय के पहले की हुई है जिस पर बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं जो कुछ ही दिनों में होना संभव नहीं है इसलिए मौके पर यदि रेकर्ड के अनुसार मुस्तकिल मुदाम के अनुसार न्याय कर रास्ता को पूर्ण रूप से खुला किया जाता है तो अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का एतराज नहीं है इसके अभाव में रास्ता को लेकर विवाद कभी भी समाप्त होने की संभावना नहीं है इस संबंध में तहसीलदार जी से भी निवेदन किया गया परन्तु कोई न्याय नहीं किया गया व बिना न्याय चौप किये व बिना मौके की जांच किये गलत रूप से आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}(5) यह है कि अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण का पड़ौस में स्थित खेत की खातेदारी ने न तो अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के न्याय दर्ज है व न ही अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण खातेदार है व न ही अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने रास्ते के किसी भी भाग पर अतिक्रमण ही किया है फिर भी अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध गलत रूप से प्रकरण बनाया गया है। बेदखली रिपोर्ट पर भी अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है इसलिए भी किसी भी प्रकार से अतिक्रमण व परचातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होते हुए भी गलत रूप से अपीलार्थीगण निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}(6) यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य व सुनवायी का किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया क्योंकि प्रकरण में आदेशिका के अवलोकन से भी यह पूर्णतया प्रकट होता है कि साक्ष्य सुनवायी व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण लोक डाउन व अन्य सुनवायी चल रही है तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी निर्देश पारित किये गये जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि किसी भी पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में



KL
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डवाना

नहीं लायी जावे व न ही पक्षकार के विरुद्ध किसी प्रकार का एडवर्स आदेश पारित किया जावे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेशों की पालना किये बिना ही गलत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर बिना साक्ष्य सुनवायी का अवसर दिये गलत रूप से आदेश पारित किया है जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील दिनांक 24.09.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट्स की अपील को दिनांक 28.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2020 362 दिनांक 26.04.2021 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 17.09.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय, नकल पटवारी हल्का रिपोर्ट, बेदखली कार्यवाही रिपोर्ट, मौका जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन कि तहसीलदार मकराना द्वारा उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 17.09.2020 किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट/अप्राथी ने दिनांक 24.09.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अतः अपीलान्ट की अपील को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक की तिथि से एक माह की अवधि में अपील पेश कर दिये जाने से अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलान्ट्स सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एवं आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व



Handwritten signature
अतिरिक्त जिला कलक्टर
देवरिया

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी/अप्राथी के विरुद्ध मौजा बौरावड के खसरा नम्बर 56 गैर मुमकिन रास्ता पर परचातवर्ती अतिक्रमण का आरोप लगया गया है जबकि रिपोर्ट में परचातवर्ती अतिक्रमण कब, कितने भाग पर, किस स्थान पर किया गया, रास्ता चालू है अथवा नहीं, रास्ता कहाँ से कहा जाता है ऐस कोई न्नाप/अंकन नहीं किया। मौजा रिपोर्ट में केवल मात्र उपस्थित लोगो के कथन मात्र को आधार मानना विधि सम्मत नहीं होने से निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में जो नोटिस जारी किया गया उसमें भी पूर्व बेदखली व परचातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई अंकन या उल्लेख नहीं किया गया है। परचातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में विधि अनुसार रिपोर्ट के साथ पूर्व बेदखली की फर्द की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की जाना व उसकी प्रति अपीलार्थी/अप्राथी को उपलब्ध करवाते हुए इस सम्बन्ध में जवाबदेही ली जाना आवश्यक होती है। प्रस्तुत प्रकरण पटवारी हल्का से बिना जिरह का अवसर दिये और पूर्वबेदखली की फर्द को बिना साबित किये अपीलार्थी को परचातवर्ती अतिक्रमी विधि अनुसार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए भी निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने यह भी निवेदन किया कि मौके पर दर्ज रास्ते के समान्तर नगौर बौरावड आम सड़क स्थित है इसलिए मौके पर रास्ता पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से रास्ता बन्द है तथा अपीलार्थी/अप्राथी का पड़ौस में स्थित खेत की खातेदारी में भी अपीलार्थी/अप्राथी की खातेदारी दर्ज नहीं है। तथा बेदखली रिपोर्ट पर भी अपीलार्थी/अप्राथी को बेदखल करना प्रमाणित नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को समुचित साक्ष्य व सुनवायी का किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया। कोरोना माहमारी के दौरान माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी किसी भी पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाने के निर्देश पारित है। अतः अपील



अतिरिक्त जिला कलक्टर
जौहाना

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का बौरावड़ की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम बौरावड़ के खसरा नंबर 56 कुल रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 0.0816 हैक्टेयर भूमि अतिक्रमण किया हुआ है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा गैर मुमकिन रास्ता पर न्यायालय अतिक्रमण किया गया है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम बौरावड़ के खसरा नंबर 56 कुल रकबा 0.3966 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 0.0816 हैक्टेयर भूमि पर कांटो की बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया आदेशिका दिनांक 18.02.2020 के अनुसार जारी नोटिस अपीलान्ट/अप्रार्थी संख्या 01 को विधिवत तामिल नहीं है। उक्त नोटिस जरिये चस्पानगी तामिल कराया गया है लेकिन चस्पानगी की ताइद में दो मौतबिरान के हस्ताक्षर मय वलिदयत एवं पूर्ण पत्ते के नहीं है। पटवारी जांच रिपोर्ट में परचातवर्ती अतिक्रमण कब किया गया ऐसा कोई अंकन नहीं है। अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा यह शपथ-पत्र भी पत्रावली पर पेश किया गया है कि मैने व तिलोक राम ने रास्ते पर जो कांटो की बाड़ बताया गयी है उन्हें हटा लिया है तथा मौके पर रास्ते की भूमि पर आज दिन हमारा किसी



h e
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। तथा न ही हम भविष्य में उक्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करेंगे। अतिक्रमण के मामले में सिविल कारावास की सजा एक कठोर सजा है। अपीलान्ट्स ने रापथ पत्र पेश कर वर्तमान में अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किए जाने बाबत पाबन्द हुए हैं अतः अपीलार्थी/अप्राथी की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए योग्य तहसीलदार के निर्णय दिनांक 17.09.2020 के जरिये की गयी दोषसिद्धी एवं अर्थदण्ड को यथावत रखा जाना एवं सिविल कारावास की हद तक का आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप में स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.2020 के जरिये की गयी दोषसिद्धी एवं अर्थदण्ड को यथावत रखा जाता है एवं सिविल कारावास की सजा की हद तक आदेश निरस्त किया जाता है।




(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.वा.नं. (नगरौर)

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.वा.नं. (नगरौर)